न्यायालय सत्र न्यायाधीश कुशीनगर स्थान–पडरौना।

सत्र परीक्षण संख्या–13/2015

राज्य प्रति मो० आरिफ

<u>आरोप</u>

मैं ए०के० उपाध्याय, सत्र न्यायाधीश कुशीनगर आप अभियुक्तगण मो० आरिफ, मो० इरफान, मुन्ना सिंह एवं राजन सिंह को निम्न आरोपो से आरोपित करता हूं।

1–यह कि दिनांक 25–01–2014 को समय करीब 5 बजे शाम बहद ग्राम देवरिया बाबू अन्सारी टोला, थाना रामकोला, जनपद कुशीनगर में आपलोगो ने वादी के भाई मु० हसन की हत्या कर दिया। इसप्रकार आपलोगो ने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 302 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

२–यह कि उपरोक्त दिनांक स्थान व समय पर आपलोगो ने मुहम्मद हसन की हत्या का साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से उसकी लाश को छिपा दिया। इसप्रकार आपलोगो ने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 201 के तहत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपलोगो को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपो के तहत आपलोगो का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

(ए०के० उपाध्याय)

दिनांक–13.01.2015 सत्र न्यायाधीश,

कुशीनगर।

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपो से इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

(ए०के० उपाध्याय)

दिनांक–13.01.2015 सत्र न्यायाधीश,

कुशीनगर।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश कुशीनगर स्थान–पडरौना।

सत्र परीक्षण संख्या–415/2007

राज्य प्रति रोशन आलम

<u>आरोप</u>

मैं ए०के० उपाध्याय, सत्र न्यायाधीश कुशीनगर आप अभियुक्तगण रोशन आलम उर्फ भुट्टू एवं मुन्ना राव को निम्न आरोपो से आरोपित करता हूं।

1–यह कि दिनांक 18–01–2007 को समय करीब 3.00 बजे दिन में बहद ग्राम बगरा रामबख्श, थाना सेवरही, जनपद कुशीनगर स्थित वादी के गेहूं के खेत में आपलोगो ने वादी नन्दू शर्मा की माता श्रीमती सिंगारी देवी की हत्या कर दिया। इसप्रकार आपलोगो ने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 302 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2–यह कि उपरोक्त दिनांक स्थान व समय पर आपलोगो ने श्रीमती सिंगारी देवी की हत्या के लिए आपराधिक षडयन्त्र किया। इसप्रकार आपलोगो ने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 120 बी के तहत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3–यह कि उपरोक्त दिनांक स्थान व समय पर आप लोगो ने सिंगारी देवी उपरोक्त द्वारा दिये गये बीस हजार रूपये को हड़प कर आपराधिक न्यासभंग किया। इसप्रकार आप लोगो ने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 406 के तहत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपलोगो को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपो के तहत आपलोगो का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

(ए०के० उपाध्याय)

दिनांक–08.12.2014 सत्र न्यायाधीश,

कुशीनगर।

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपो से इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

(ए०के० उपाध्याय)

दिनांक–08.12.2014 सत्र न्यायाधीश,

कुशीनगर।